

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2017-18 पुनरीक्षण II/आरसी/रीवा/2006/2017/4814

कां.सी. डि.के. कां.सी.
4-12-17

संतोष कुमार तनय श्री शंकरषण प्रसाद, ब्रह्मण
निवासी-ग्राम मढ़ा रघुवर, थाना/तहसील हनुमना
जिला रीवा म.प्र.पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. अवधेश प्रताप सिंह
2. रामसहोदर
3. राजभान
4. भैय्यालाल (मृतक)

पुत्रगण स्व. श्री गजाधर पटेल

5. विजय शंकर पुत्र स्व. श्री रामकरण पटेल
6. राजमणि तनय हरविलास पटेल

सभी निवासी-ग्राम अटरिया, थाना/तहसील
हनुमना जिला रीवा म.प्र.

.....गैरपुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतरिम आदेश दिनांक 23.11.2017 प्रकरण क्रमांक

111 ए/74/2006-2007

अधीनस्थ अनुविभगीय अधिकारी,

न्यायालय तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. अंतर्गत म.प्र. भू

राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत ।

2017 NOV-402

संतोष कुमार 28/11/17

27


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

4/जिला/रावा/25/17/4814

दिनांक/अवधि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8/11/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रवि पी. बिवाल</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - <u>रावा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>111/19-74/06-07</u> में पारित आदेश दिनांक <u>23-11-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>रावा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/11/19</u> को कलेक्टर जिला <u>रावा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	